



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052025-263047
CG-DL-E-13052025-263047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2018]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2025/वैशाख 19, 1947

No. 2018]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2025/VAISAKHA 19, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2025

का.आ. 2063(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, पटना को बिहार राज्य में NH-139 (Old NH-98) के कि.मी 0.000 से कि.मी 9.053 (सरिस्ताबाद-बेउर मोड़-अनीसाबाद (पटना) से फुलवारी-एम्स) तक के एलिवेटेड फ्लाईओवर 4/6 लेन कार्य में भूमि-अर्जन, रख-रखाव, प्रबंधन एवं संचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH139 (Old NH-98) के कि.मी 0.000 से कि.मी 9.053 (सरिस्ताबाद-बेउर मोड़-अनीसाबाद (पटना) से फुलवारी-एम्स) तक के एलिवेटेड फ्लाईओवर 4/6 लेन तक निर्माण कार्य में भू-अर्जन की जानेवाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित ग्रामों का संक्षिप्त विवरण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, पटना	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH139 (Old NH-98) के कि.मी 0 से कि.मी 9.053 तक	बिहार	पटना	दानापुर - कम - खगौल	1 सैदपुरा
					फुलवारी	1 भुसौला दानापुर
						2 फुलवारी
						3 नोहसा
					पाटलिपुत्रा	1 चितकोहरा
						2 धीरा चक
						3 पहाड़पुर

[फा. सं. RW/PAT/NH139/Beur Jail more-Anishabad - Phulwari – AIIMS/LA/2025]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2025

S.O. 2063(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch design Km 0.000 to Design Km 9.053 of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for land Acquisition of Construction of 4/6 Lane Elevated flyover Corridor from Saristabad- Beur More- Anisabad (Patna) to Phulwari-AIIMS from Km 0.00 to km. 9.053 on NH-139 (Old NH-98)) for Construction, maintenance, management, and operation in the State of BIHAR.

SCHEDULE

Land acquisition for Construction of 4/6 Lane Elevated flyover Corridor from Saristabad- Beur More- Anisabad (Patna) to Phulwari-AIIMS from Km 0.00 to km. 9.053 on NH-139 (Old NH-98) in the State of BIHAR.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	DLAO, Patna	NH139 (Old NH-98) KM 0 TO KM 9.053	BIHAR	PATNA	Danapur -CUM -Khagaul	1 Saidpura
					Phulwari	1 Bhusaula Danapur

						2	Phulwari
						3	Nohsa
					Patliputra	1	Chitkohra
						2	Dhira Chak
						3	Paharpur

[F. No. RW/PAT/NH139/Beur Jail more-Anishabad - Phulwari – AIIMS/LA/2025]

SHAIKH AMINKHAN, Director